पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, उत्तर प्रदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 176 के तहत नये संशोधन

- रेप पीड़िता का बयान उसके आवास पर यथासम्भव महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही दर्ज होगा।
- बयान दर्ज करते समय पीड़िता के माता/पिता या अभिभावक उपस्थित रहेंगे, जिसकी रिकार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जायेगी।
- 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में फोरेन्सिक एग्जामिनेशन अनिवार्य।
- क्राइमसीन व फोरेन्सिक एविडेन्स के लिए वीडियोग्राफी अनिवार्य।

पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, उत्तर प्रदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत नये संशोधन

टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अत्याधुनिक होगी कानून व्यवस्था

- संज्ञेय अपराधों मे **e-FIR** भी करायी जा सकेगी।**(धारा 173)**
- जाँच–पड़ताल से लेकर मुकदमे के साक्ष्यों तक की होगी रिकार्डिंग। **(धारा 176,254,265)**
- पुलिस द्वारा सर्च और सीजर की कार्यवाही में होगी वीडियोग्राफी/ फोटोग्राफी।**(धारा 105)**
- इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी तरह का डिजिटल रिकॉर्ड दस्तावेज माना जाएगा।**(धारा 94)**

पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, उत्तर प्रदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत नये संशोधन

गिरफ्तारी की दशा में प्रावधान

- **3 वर्ष** से कम की सजा वाले या **60 साल** से अधिक उम्र की दशा में **राजपत्रित अधिकारी की अनुमति** आवश्यक। **(धारा 35(7))**
- गिरफ्तारी के समय पर किसी **रिश्तेदार या मित्र को जानकारी** देना आवश्यक। **(धारा 48)**
- अपराध की **प्रकृति और गंभीरता** के आधार पर **गिरफ्तार** व्यक्ति को पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग किया जा सकेगा। **(धारा 43(3))**
- असाधारण परिस्थितियों के अतिरिक्त, किसी महिला को **सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय से पहले** गिरफ्तार नही किया जा सकेगा। **(धारा 43(5))**

पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत नये संशोधन

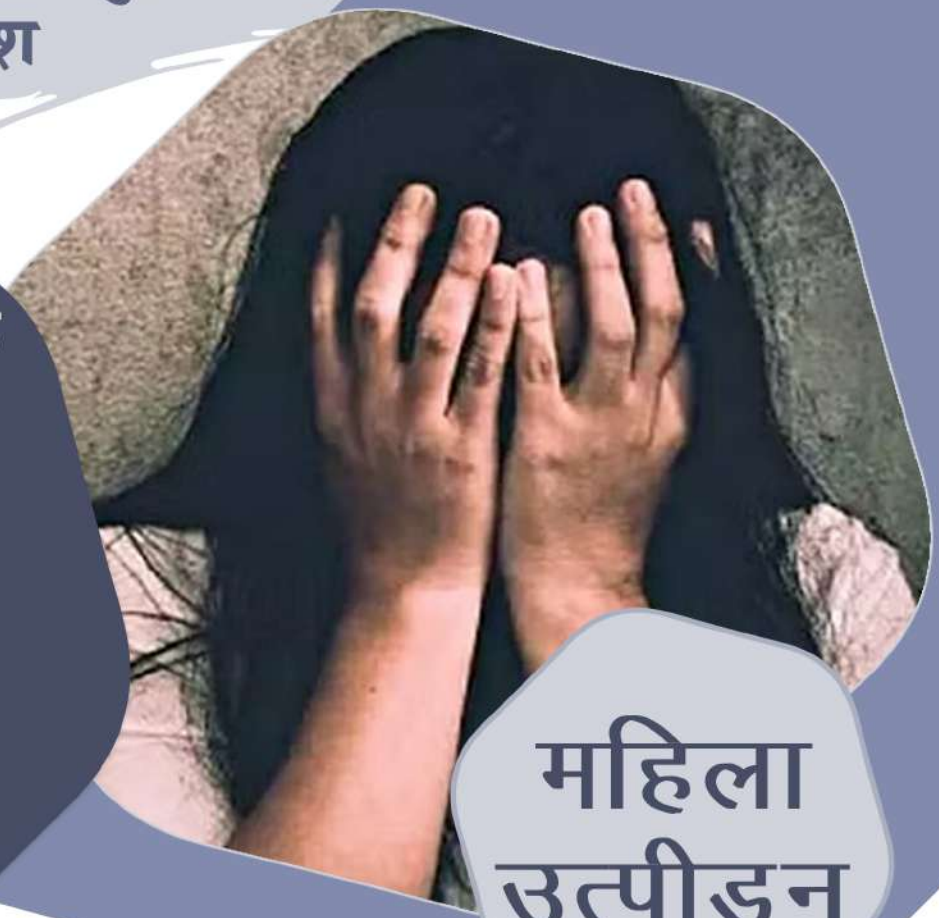

महिला उत्पीड़न

यौन उत्पीड़न के प्रति संवेदनशीलता

- चौबीस घंटे के अन्दर पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाना अनिवार्य। (धारा 184)
- यौन हिंसा के मामलों मे पीड़िता के बयान न्यायालय में महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपलब्धता होने पर पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अन्य महिला की उपस्थिति में लिया जायेगा। (धारा 183(6))
- POCSO के केस में विवेचना का निस्तारण 2 माह में पूर्ण होगा। (धारा 193(2))